

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1729/2025

V S/o Ramlal, Aged About 16 Years 11 Months Resident Of Bedar
Police Station Bhojpur District Rajgarh(Mp)Through Natural
Guardian Father Ramlal
(At Present Confined In Judicial Custody At Juvenile Home,
Jhalawar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Rohit Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Jitendra Singh Rathore, AGA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

10/11/2025

1. विचारण न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड झालावाड़ (राज0) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**329/2025**, पुलिस थाना— **घाटोली** जिला— **झालावाड़**, अपराध अन्तर्गत धारा— 8/21, 25, 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (बाद अनुसंधान आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 8/21, 25 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश हुआ) में पारित आदेश दिनांक **08.09.2025**, जिसके द्वारा निगरानीकार—किशोर का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम खारिज किया गया एवं अपीलीय न्यायालय— विशेष न्यायाधीश, बालक न्यायालय (बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005) झालावाड़ (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़) द्वारा दांडिक अपील संख्या— **103/2025** में पारित आदेश दिनांक **15.09.2025** जिसके द्वारा निगरानीकार—किशोर की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा **101** किशोर न्याय अधिनियम खारिज की

गई, से व्यथित होकर निगरानीकार—किशोर की ओर से जरिये संरक्षक पिता उक्त निगरानी याचिका (जमानत) प्रस्तुत की गई है।

2. बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार—किशोर का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में निगरानीकार—किशोर निर्दोष है, उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें निगरानीकार—किशोर एवं उसके पिता के विरुद्ध कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है, निगरानीकार—किशोर के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित होना नहीं पाया गया है, उनका यह भी तर्क है कि धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किशोर को सुपुर्दगी पर दिये जाने के मामले में अपराध की गंभीरता सुसंगत तथ्य नहीं है एवं केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही उसे सुपुर्दगी पर दिये जाने से इंकार किया जा सकता है, उनका यह भी कथन है कि किशोर को सुपुर्दगी पर दिये जाने से उसके ज्ञात—अज्ञात व्यक्तियों के सम्पर्क में आने का भी कोई अंदेशा नहीं है, उनका यह भी कथन है कि किशोर दिनांक **29.08.2025** से सम्प्रेषण गृह में निरुद्ध है, उनका यह भी कथन है कि निगरानीकार—किशोर से जो मादक पदार्थ जब्त किया जाना बताया है, वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण के सहअभियुक्त की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा ली जा चुकी है तथा निगरानीकार—किशोर विरुद्ध आरोप पत्र विद्वान किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत हो चुका है जिसके विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः निगरानी याचिका स्वीकार कर निगरानीकार—किशोर को सुपुर्दगी पर उसके पिता को सुपुर्द कर दिया जावे।

4. अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने निगरानीकार—किशोर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि निगरानीकार—किशोर के कब्जे से 202.29 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक की

बरामदगी हुई है, अतः निगरानीकार—किशोर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
6. हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार—किशोर पर **धारा 8/21, 25 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** के अपराधों का अभियोग है। किशोर 16 वर्ष 11 माह का बालक है एवं उसके विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित होने के संबंध में कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। किशोर के संबंध में प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में उसका आचरण सामान्य होना बताया गया है। किशोर को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु उसके पिता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। किशोर दिनांक **29.08.2025** से सम्प्रेषण गृह में निरुद्ध है, पत्रावली पर ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं है कि यदि निगरानीकार—किशोर को सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो उसके किसी ज्ञात या अज्ञात अपराधियों के सहचर्य में आने की अथवा उसके पुनः आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त होने की संभावना हो, पत्रावली पर उसको नैतिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक खतरा होना भी दर्शित नहीं है। परिणामस्वरूप उपर्युक्त समस्त तथ्यों—परिस्थितियों को देखते हुए यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. परिणामतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांकित **08.09.2025** तथा **15.09.2025** अपास्त किए जाते हैं एवं आदेश दिया जाता है कि यदि निगरानीकार की ओर से उसका प्राकृतिक संरक्षक विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, **पचास हजार रुपये** का सुपुर्दगीनामा तथा **पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये** के दो जमानतनामों इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें कि सुपुर्दगी के दौरान वह निगरानीकार—किशोर को अपनी संरक्षकता में सुरक्षित रखेगा, किसी

आपराधिक तत्व के सम्पर्क में नहीं आने देगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर निगरानीकार—किशोर को न्यायालय में उपस्थित कर देगा तो उसे सुपुर्दगी पर दे दिया जाए।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /2